न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 265/2014

1. सुनितादेवी पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति माली निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ
2. अभिषेक पुत्र बाबूलाल जरिये संरक्षक माता सुनितादेवी पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति माली निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनु

–वादीगण

बनाम

1. मांगीदेवी पत्नी स्व0 रामलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल
3. सरोज पुत्री रामलाल पत्नी गटू समस्त जाति माली निवासी मिटावा कृषि फार्म दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ
4. तहसीलदार तहसील नवलगढ

–प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा जमीन

वकील वादी –श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील प्रति0 – –

निर्णय

निर्णय तिथि 19.08.2019

वाद वादीगण दिनांक 02.05.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2018/86 दिनांक 17.01.2019 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नही होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद न्यायोचित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम दुर्जनपुरा की भूमि ख.न. 47 रकबा 2.68 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. भूमि ख.न. 47/1 रकबा 0.8040 है0(पश्चिमी हि0) का सुनितादेवी पत्नी स्व0 बाबूलाल अभिषेक पुत्र बाबूलाल संरक्षक माता सुनितादेवी पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति माली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. भूमि ख.न. 47/2 रकबा 1.8760है0 (पूर्वी हि0) का ओमप्रकाश पुत्र रामलाल हि0 1.34है0 राहिन बीआरकेजीबी शाखा नवलगढ घूमचक्कर मूर्तहीन सरोज पुत्री रामलाल हि0 0.5360 है0 जाति माली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.8.19
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(~~ओ–20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी~~)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
नवलगढ

Scanned by CamScanner